ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर0 ई0 वाद सं0–29/2018–19

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
08/07/2024	**आदेश** प्रस्तुत आर0 ई0 वाद सं0–29/2018–19 (रहमान मियां एवं अन्य –बनाम–मुन्ना यादव एवं अन्य) आवेदक–रहमान मियां, पिता–स्व0 मुंशी मियां एवं अन्य साकिन–डंगालपाड़ा, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर के द्वारा मौजा–पन्हैयाकोला, थाना नम्बर–270, जमाबंदी नं0–26, दाग न0–107, रकवा–02 कट्ठा 06 धूर जमीन से विपक्षी 01. मुन्ना यादव, पिता–स्व0 राजाराम यादव, 02. टिंकू यादव, पिता–विद्यानंद यादव, 03 बबलु यादव, पिता–मुन्ना यादव साकिन–डंगालपाड़ा, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत प्रशनगत भूमि से उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। 02. प्राप्त आवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग करते हुए, अंचल अधिकारी, मधुपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मधुपुर के पत्रांक–696/रा0, दिनांक–08.11.2018 एवं पत्रांक–533/रा0, दिनांक–03.07.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। 03. विपक्षी का कथन है कि आवेदित भूमि के दाग न0–107 पर हमलोगों के द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है न किसी प्रकार का दावा है। आवेदक द्वारा ब्लैकमेल करने की दृष्टि उक्त वाद दाखिल किया गया है। अतः उक्त वाद खारिज करने योग्य है। 04. अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–पन्हैयाकोला, थाना नम्बर–270, जमाबंदी नं0–26, दाग न0–107, रकवा–79 डी0 जमाबंदी रैयत हुरो मियां के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। विपक्षी का दखल उक्त दाग नं0–107 पर नहीं है। इसी जमाबंदी नं0–26 के दाग नं0–130/407 को लेकर विवाद है। 05. उभय पक्षों को सुना, प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि के दाग न0–107 पर विपक्षी का कोई दखल दावा नहीं है। अन्य विवादित दाग नं0–130/407 को लेकर आवेदक द्वारा विधिवत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उच्छेदी संबंधी कार्रवाई करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। आवेदक चाहें तो अलग से संबंधित दाग से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु वाद दाखिल कर सकते हैं। अतः उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं शुद्धित** 08/07/24 08/07/24 अनुमण्डल पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। मधुपुर।	

Digitally signed by AASHISH AGARWAL
Date: 2024.08.14 16:53:28 +05:30
Location: 192.168.29.15